न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 64 / 2021

विजेन्द्र पुत्र श्री प्रभूराम, जाति खाती, निवासी उरीका, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय नायब तहासीलदार सूरजगढ उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रभू मिसल नंबर 01 / 2021 निर्णय दिनांक 10.02.2021

––

उपस्थितः–

1. श्री अमित चौधरी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 10.02.2021 के विरूद्व पेश की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार हल्का पटवारी उरीका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की रोही मौजा उरीका की भूमि खसरा नम्बर 339 के कुल रकबा 0.85 हैक्टर किस्म जमीन गैर मुमकीन रास्ता मे से रकबा 0.02 हैक्टर पर पोल लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये जो अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर विवादित भूमि से अपीलान्ट को अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखल करने का आदेश दिया गया तथा दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रूपये कायम किया गया जिससे व्यथित होकर अपील निम्न आधार पर पेश है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजगढ का आदेश खिलाफ पत्रावली व कानून है। न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजगढ द्वारा अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का नोटिस नही दिया गया व ना ही अपीलान्ट के पास किसी प्रकार का नोटिस आया इस प्रकार अपीलान्ट को प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत ने किसी भी पक्षकार की किसी भी प्रकार से साक्ष्य लिये बिना ही मनमाना आदेश पारित किया है। नक्शासीट का सही–सही अवलोकन व विवेचन किये बिना ही अदालत मातहत ने मनमाना आदेश पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अदालत

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तहत की उक्त उनवानी पत्रावली तलब फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 0.02.2021 अपास्त किये जाने की आज्ञा फरमावें ।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजगढ का आदेश खिलाफ पत्रावली व कानून है। न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजगढ द्वारा अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का नोटिस नही दिया गया व ना ही अपीलान्ट के पास किसी प्रकार का नोटिस आया इस प्रकार अपीलान्ट को प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत ने किसी भी पक्षकार की किसी भी प्रकार से साक्ष्य लिये बिना ही मनमाना आदेश पारित किया है। नक्शासीट का सही–सही अवलोकन व विवेचन किये बिना ही अदालत मातहत ने मनमाना आदेश पारित किया है। अतः अपील पेश स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10.02.2021 अपास्त किये जाने की आज्ञा फरमावें ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम उरीका स्थित विवादित भूमि ख0न0 339 रकबा 0.85 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सरकारी भूमि है जिस पर अपीलान्ट को कब्जा करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के पुत्र पर नोटिस की विधिवत् तामिल करवाई जाकर एवं बावजूद नोटिस तामिल अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.02.2021 के अनुसार विवादित भूमि के मौके से अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल भी किया जा चुका है जिसके कारण अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि ग्राम उरीका के ख0न0 339 रकबा 0.85 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते मे से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है। ऐसे मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन हो चुकी है। सारहीन होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू